# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
# उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 9/2016
दायरा दिनांकः—19.01.2016
निर्णय दिनांकः— 24-12-24

## उनवान

भैरूलाल उम्र 63 वर्ष पुत्र पांच्या जाति कबाडी पैशा कृषि निवासी कबाडी मोहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चिंरोजीलाल भार्गव — प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम वाके ग्राम छबड़ा के माल टोडी में स्थित कृषि आराजी खसरा न0 1323 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा पर प्रार्थी का विगत सौ वर्षों से भी अधिक समय से स्वामित्व कब्जा मालिकाना अधिकार स्थित है। उपरोक्त आराजी सेटलगेन्ट के पूर्व प्रार्थी के स्वर्गीय पिता पाच्या पुत्र मागीलाल कबाड़ी निवासी छबड़ा के कब्जे काश्त में स्थित थी वादी के पिता पांच्या की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त आराजी पर मुझ प्रार्थी का स्वामित्व कब्जा मालिकाना अधिकार चला आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थी ही उपरोक्त आराजी पर काबिज है। एवं प्रार्थी ही निरन्तर रूप से उपरोक्त आराजी पर काश्त कर पैदा होने वाली फसल से लाभान्वित हो रहा है। राजस्व रिकोर्ड में उपरोक्त आराजी रिज्यूम साहबजादा हबिबुल्ला खा साकिन टोक दर्ज कर प्रार्थी का नाम उसके बाद भैरूलाल पुत्र पांच्या कबाड़ी साकिन देह दर्ज कर रखा है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में आराजी के रिज्यूम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध मे कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही राजस्थान सरकार के द्वारा जागीरदारी प्रथा को अवैध करार दिया जाकर पूर्णरूपेण समाप्त किया जा चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्व रिकार्ड में रिज्यूम साहबजादा हबिबुल्ला खां साकिन टोक दर्ज रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सहायता राशि भी मुझ प्रार्थी को ही दी गई है। तथा उपरोक्त आराजी मे से होकर



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जब राजस्थान सरकार के द्वारा सड़क बनवाई गयी थी। तब उपरोक्त आराजी में से 03 बिस्वा भूमि को अधिगृहित किया गया था तो उसकी मुआवजा राशि मुझ प्राथर्थी को ही दी गई थी। इसके अतिरिक्त समय समय पर फसल खराबे की मुआवजा राशि भी राज्य सरकार के द्वारा मुझ प्रार्थी को ही दी गई है। समय समय पर उपरोक्त आराजी का लगान भी सरकार को मुझ प्रार्थी के पिता पांच्या के द्वारा ही उनके जीवनकाल में अदा किया गया था। प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर उन्नत कृषि करना चाहता है। तथा बैंक से एवं अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर उपरोक्त आराजी पर विद्युत कनेक्शन करवा कर ट्यूबवैल लगवाना चाहता है। परन्तु उपरोक्त आराजी पर रिज्यूम शब्द लिखा होने से प्रार्थी को ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। तथा प्रार्थी विद्युत कनेक्शन भी नहीं करवा पा रहा है। प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ रहा है। यह कि उपरोक्त आराजी विगत सौ वर्षों से प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे मालिकाना अधिकार में स्थित है। जागीरदारी प्रथा का अन्त हो चुका है। अतः उक्त शब्दों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज रखे जाने का कोई ओचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी उपरोक्त जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड से रिज्यूम शब्द हटवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी कस्बा छबडा सम्वत् सम्वत् 2070–73 संख्या संख्या 417 नकल सूचना भूमि अवाप्ति 3 बिस्वा फोटो प्रति लगान रशीद पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा के माल टोडी तहसील छबडा में स्थित है। उक्त आराजी सेटलमेन्ट के पूर्व प्रार्थी के स्वर्गीय पिता पांच्या पुत्र मांगीलाल कबाडी निवासी छबडा के कब्जे काश्त में थी। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजी प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे में चली आ रही है तथा वर्तमान में उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में रिज्युम साहबजादा हबिबुल्ला खां साबिन टोंक कर प्रार्थी का नाम उसके बाद भैरूलाल पुत्र पाच्या कबाडी दर्ज कर रखा है राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में आराजी के रिज्युम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नही है राज0 सरकार के द्वारा जागीरदारी प्रथा को अवैध करार दिया जाकर पूर्ण रूपेण समाप्त किया जा चुका है राजस्व रिकार्ड में रिज्युम साहबजादा हबिबुल्ला खां सा0देह टोंक किये जाने का कोई औचित्य नही है। राजस्थान सरकार द्वारा सडक में अधिग्रहित 03 बिस्वा भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिया गया था। तथा फसल खराब की मुआवजा राशि प्रार्थी को दी गई है। भूमि का लगान प्रार्थी जमा कराता है प्रार्थी उक्त भूमि पर ऋण लेना चाहता है जिससे ट्युबवेल व बिजली कनेक्शन लगवा सके परन्तु रिज्युम दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। जागीरदारी प्रथा का अन्त हो चुका है रिज्युम शब्द जमाबन्दी में रखे जाने का कोई औचित्य नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम टोडी सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 417 में रिज्युम साहबजादा हबिबुल्ला खां सा0देह टोंक भैरूलाल पुत्र पांच्या कबाडी सा0देह दर्ज है नोटिस भूमि अवाप्ति अधिकारी सा0देह निवासी वि0 कोटा द्वारा 3 बिस्वा भूमि अवाप्त की जिसमें साहब जादा हबिबुल्ला खां सा0देह टोक व पाच्या पुत्र मांग्या कोम कबाडी का नाम दर्ज है तथा लगान रशीद में भी है पांच्या पुत्र मांग्या कबाडी माफी साहब जादा हिफातुल्ला खां हिदातुल्ला खां का नाम दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम छबडा को आराजी खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.4300 है में हिस्सा 1/2 व नसीम बानो पुत्री हबीबुल्ला रूबीना मुमताज पुत्री हबीबुल्ला शाहिना बानो पुत्री हबीबुल्ला राशीद खां पुत्र हबीबुल्ला हिस्सा 1/2 जाति मुसलमान सा0देह माफियात रिज्युमशन हबीबुल्ला का फोती नामान्तरण माननीय न्यायालय तहसीलदार छबडा के आदेशानुसार नामान्तरण नम्बर 2213/20.11.2023 से वारिस दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज हुआ तहसीलदार छबडा की रिपार्ट के आधार पर खातेदार हबीबुल्ला के वारिसान के नाम फोती नामान्तरण से दर्ज हो चुके है प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण खाते से साहबजादा हबीबुल्ला खां साकिन टोंक का नाम हटा कर रिज्यूम हटाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि धारा 136 एल0आर0एक्ट राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार ही अनुमत करती है तथा प्रार्थी को सम्पूर्ण खाते में खातेदारी के लिए सक्षम धारा में वाद पेश कर वाद साक्ष्य/सबूतों के आधार पर साबित किया जाना है। प्रकरण धारा 136 के क्षैत्राधिकार में नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा